

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री, आर०ए०एस०

अपील संख्या 20/2016

1- कमल खेतावत पुत्र स्व. श्री भंवरलाल खेतावत निवासी कुचामन रोड, डीडवाना,
तहसील डीडवाना, जिला नागौर

.....अपीलान्ट

बनाम

1- पटवारी हल्का डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला नागौर

2-अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वितीय खण्ड डीडवाना तहसील
डीडवाना जिला नागौर

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री अनिल गौड़ व विकास ठोलिया अधिवक्तागण, अपीलान्ट की ओर से

2-अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग डीडवाना स्वयं रेस्पोंडेन्ट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध

अपील बरखिलाफ आदेश दिनांक 25.01.2016 न्यायालय तहसीलदार
डीडवाना बअनुवान पटवारी हल्का डीडवाना बनाम कमल खेतावत डीडवाना
प्रकरण संख्या 31/2015 अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में
पारित किया गया ।

निर्णय

दिनांक- 27.04.2018

अपीलार्थी की ओर से अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से हैं:-

यह है इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिशायी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा एक शिकायत विद्वान तहसीलदार डीडवाना के कार्यालय में पेश की गई उक्त शिकायत के आधार पर विद्वान तहसीलदार डीडवाना ने अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर एक नोटिस दिनांक 21.01.2015 को अपीलान्ट के विरुद्ध जारी किया एवं नोटिस में अंकन किया कि अपीलान्ट द्वारा तहसील के ग्राम डीडवाना की अनाधिकृत

हाजरी में विनिश्चित किया जायेगा। अपीलान्ट को उक्त नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट दिनांक 25.01.2016 विद्वान तहसीलदार डीडवाना के समक्ष उपस्थित हुआ तथा प्राथमिक रूप से अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा जवाब के साथ स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज, पट्टा, विक्रय पत्र एवं नगर पालिका डीडवाना द्वारा समय समय पर जारी निर्माण स्वीकृति आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये एवं कार्यवाही ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया। विद्वान तहसीलदार डीडवाना ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना कोई जांच किये मौका रिपोर्ट लिए बयान व साक्ष्य लिये इसी दिन दिनांक 25.1.2016 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर दुकान/मकान को हटाकर बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट ने विद्वान तहसीलदार जो, डीडवाना द्वारा जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के विरुद्ध एक रिट पिटिशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1123/2016 मौहम्मद कमल खेतावत बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दर्ज हुई, जिसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.04.2016 को इस निर्देश के साथ निर्णित किया कि पक्षकारान तहसीलदार, डीडवाना के निर्णय के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में सक्षम न्यायालय में उजरदारी प्रस्तुत करे। अपीलान्ट विद्वान तहसीलदार डीडवाना के निर्णय दिनांक 25.01.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील माननीय न्यायालय में निम्न मय बिन्दुओं पर प्रस्तुत करता है:-

1. यह है कि निर्णय विद्वान तहसीलदार डीडवाना न्याय नियम विधि व रेकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना तथा बिना कोई विधिवत जांच किये विधिक प्रक्रिया को बिना अपनाये केवल मात्र अपीलान्ट को उसके पुख्ता मकानात तोड़कर उसको बेदखल करने की मंशा से अपीलान्ट की पीठ पीछे जो आदेश पारित किया है व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

3. यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस अपीलान्ट को जारी किया उसमें कही पर भी खसरा नम्बर का अंकन नहीं है। तथा न ही किस वर्ष में मकान व दुकान निर्मित की गई का अंकन है जबकि धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पटवारी हल्का की रिपोर्ट, अतिक्रमण का वर्ष व काश्त अंकित किया जाना आवश्यक है जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र अपीलान्ट को बेदखल करने की मंशा से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नोटिस जारी

4. यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना कोई मौका रिपोर्ट लिये तथा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की बिना रिपोर्ट व साक्ष्य लिये केवल मात्र अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के कहे अनुसार अपीलान्ट को आबादी भूमि होते हुए अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का निर्णय पारित किया है जो विधि एवं सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

5. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की हैं कि अपीलान्ट के मकान/दुकान डीडवाना शहर में स्थित है जिनके पटटे मारवाड़ स्टेट के समय से जारी किये हुए है। तत्पश्चात नगर पालिका डीडवाना द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किये गये तथा अपीलान्ट द्वारा पटटाधारकों से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा जायगा खरीद कर नगर पालिका डीडवाना से स्वीकृति लेकर मकान/दुकान का निर्माण किया था परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलान्ट के मकान व दुकान को तोड़ने व बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है।

6. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि उक्त भूमि पटटाशुद भूमि थी जिसको जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अपीलान्ट द्वारा क्रय किया गया। क्रय के पश्चात अपीलान्ट द्वारा नगर पालिका डीडवाना से नक्शा स्वीकृत करवाया गया तथा निर्माण स्वीकृति लेकर मकान/दुकान का निर्माण करवाया। अपीलान्ट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया बल्कि अपीलान्ट कानून सम्मत सभी कार्यवाही कर अपनी भूमि का स्वामी, मालिक, काबिज, उपयोग उपभोगकर्ता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को स्टेट समय तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 से पूर्व की आबादी भूमि में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं था इसके बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अन्दर निहित क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग कर जो अविधिक कार्यवाही सम्पादित कर मकान/दुकान तोड़ने का अविधिक निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है।

7. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा नम्बर 3052 गैर मुमकिन सड़क पर अपीलान्ट का मकान/दुकान बना अतिक्रमण होना मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। प्रथम तो अपीलान्ट का खसरा नम्बर 3052 पर कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि आबादी खसरा नम्बर 3051 की भूमि में अपीलान्ट के मकान/दुकान स्थित है, द्वितीय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 3052 गैर मुमकिन सड़क का कोई मुस्तकिल बिन्दु से सीधा ज्ञान नहीं

मात्र अपीलान्त को बेदखल करने की मंशा से जल्दबाजी में एक तरह से न्याय व न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है।

8. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि ग्राम डीडवाना का उक्त क्षेत्र रियासत काल से आबादी क्षेत्र है तथा पूर्व में ग्राम गाढा ग्राम पंचायत में स्थित था तत्पश्चात सन 1963 में नगर पालिका क्षेत्र डीडवाना में शामिल किया गया उक्त क्षेत्र में रियासत काल से ही आवासीय मकानात नोहरे आदि बने हुए थे जो आबादी क्षेत्र में स्थित है, नगर पालिका डीडवाना द्वारा भी इस क्षेत्र में नाली, सड़क आदि का निर्माण किया जाता है तथा नक्शा व स्वीकृतियां जारी की जाती रही है। अपीलान्त को भी नगर पालिका द्वारा निर्माण की समय-समय पर स्वीकृति दी गई है इसके बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की बिना जांच कराये, अपीलान्त के अभिवचनो को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी रूप से अपीलान्त के पट्टाशुदा, खरीदशुदा मकान/दुकान को ध्वस्त करने व बेदखल करने का जो अविधिक आदेश पारित किया है वह विधि विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय हैं

9. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ऐसा कोई भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्त के मकान दुकान खसरा नम्बर 3052 गैर मुमकीन सड़क पर स्थित हो तथा न ही राजस्व नक्शे अनुसार चौड़ाई व लम्बाई बाबत साक्ष्य प्रस्तुत की तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी खसरा नम्बर 3052 बाबत सीमा ज्ञान करवाया केवल मात्र कयास लगाकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जिससे निर्णय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय काबिल निरस्तनीय है।

10. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण या सड़क चौड़ी करनी थी तो उसे विधिक प्रक्रिया अपना भूमि अवाप्त कर प्रतिकर राशि देकर विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी परन्तु ऐसा नहीं कर बदनियती से अपीलान्त के मकान/दुकान को बिना ठोस सबूत के खसरा नम्बर 3052 सड़क में होना बताकर अविधिक कार्यवाही सम्पादित करने की नियत से शिकायत की एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना अविधिक रूप से जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है जो अपीलान्त के सवैधानिक अधिकारों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

11. यह कि अपीलान्त के मकान/दुकान आबादी भूमि में स्थित है विद्वान अधीनस्थ

कर अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई रिकार्ड या दस्तावेज नहीं था जिससे साबित होता हो कि अपीलान्त के मकान/दुकान सड़क भूमि में स्थित हो। फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड को देखे तथा बिना दस्तावेजों का विवेचन किये क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित करने में भंगकर कानूनी त्रुटि की हे जो अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है।

12. यह कि उपरोक्त प्रकरण में विद्वान तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 25.01.2016 को आदेश पारित किया गया अपीलान्त द्वारा विद्वान तहसीलदार डीडवाना की कार्यवाही के विरुद्ध एक रिट पिटिशन संख्या 1123/2016 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 20.04.2016 को समक्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ निर्णित की गई। अतः प्रकरण में कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित रहने तत्पश्चात निर्णय दिनांक 20.04.2016 पारित होने के तुरन्त पश्चात यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो अन्दर मियाद है फिर भी विलम्ब माफी हेतु धारा 14 व 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

13. यह कि अन्य वजूवाहत बरवक्त बहस निवेदन किये जायेगे।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय विद्वान तहसीलदार डीडवाना दिनांक 25.01.2016 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्त के विरुद्ध जारी धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे। अन्य सुविधा माननीय न्यायालय अपीलान्त के हक में उचित एवं आवश्यक समझे प्रदान करावें।

अपीलान्त की यह अपील दिनांक 25.4.16 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट के नोटिस तामील होकर प्राप्त जो शामिल मिसल किये गये। तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01से 02 की ओर से जवाब पेश किया जो रेकॉर्ड पर लिया गया। तथा एक प्रति अपीलान्त वकील को दिलाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 से 02 ने अपने जवाब में बताया है जो सक्षिप्त में इस प्रकार है :-

यह है कि वादी द्वारा गैर मुमकिन सड़क की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उस जगह पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नं० 3052 किस्म गैर मुमकिन सड़क रकबा 12-11 बीघा है। तहसीलदार डीडवाना के पत्र दिनांक 12.02.2016 द्वारा राजस्व रिकार्ड अनुसार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि इस जगह पर गैर मुमकिन सड़क की भूमि की चौड़ाई 13 गटठा अर्थात 86 फीट 8 ईंच है। यह सड़क भूमि

करने अथवा पट्टा/सेल डीड जारी करावाने व निर्माण की अनुमति देने का अधिकार नहीं है ।

वादीगण द्वारा गैर मुमकिन सड़क खसरा नं03052 पर अतिक्रमण किया गया था जिस में तहसीलदार डीडवाना द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.07.2004 की पालना में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । तत्पश्चात वादीगण द्वारा तहसीलदार को जवाब प्रस्तुत किया गया । चूंकि सड़क रास्ते में यदि किसी संस्था/बोर्ड द्वारा पट्टा/सेल डीड जारी की जाती है तो वह स्वतः ही शून्य है। अतः तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.01.2016 को अतिक्रमी के खिलाफ गैर मुमकिन सड़क की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने का बेदखली का आदेश पारित किया । जिसकी पालना में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.01.2016 को अवैद्य कब्जा पूर्ण रूप से हटाकर वादीगण को बेदखल कर दिया गया है तथा कब्जा राजहक लिया गया। वादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.04.2016 द्वारा प्रार्थी की रिट याचिका पर निर्णय पारित कर दिया है वादीगण के अतिक्रमण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हटाया जाना स्वीकार कर लिया गया है एवं नियमानुसार अपील दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन सड़क की भूमि पर किसी को भी भू खण्ड विक्रय कर एवं निर्माण करने का अधिकार नहीं है। यह विधि विरुद्ध एवं गैर कानूनी होने से स्वतः निरस्त एवं शून्य है। राजस्व रिकार्ड अनुसार सा.नि.वि. की गैर मुमकिन सड़क की भूमि का विवरण एवं समस्त कार्यवाही का विवरण (एनेक्सर-R/1) पर उपलब्ध है।

इसलिए वादी का वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग डीडवाना ने भी उपस्थित होकर दौराने बहस में वकील अपीलान्ट के बहस के तथ्यो का खण्डन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया ।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार डीडवाना द्वारा सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग डीडवाना एवं पटवारी हल्का डीडवाना, भू-अभिलेख निरीक्षक डीडवाना की रिपोर्ट के आधार अपीलान्ट ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बर 3052 किस्म गै0मु0 सड़क पर 2009.42 वर्गफूट भूमि पर मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण करने के लिए प्रकरण संख्या 31/15 में अतिक्रमण करने के लिए कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा 06.5.16 को जवाब दिया गया तथा रेकर्ड की

आदेश दिये गये तथा मुतनाजा भूमि पर किये अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में 27.1.16 को सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग डीडवाना द्वारा मुतनाजा भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा राजहक में लिये जाने की रिपोर्ट पेश की गयी। राजस्व रिकोर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 3052 रकबा 12बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0 मु0 सड़क, पी0डब्लू0डी0 सड़क के रूप में दर्शाया गया है।

अपीलान्ट द्वारा नगर पालिका डीडवाना की निर्माण आज्ञा पत्र क्रमांक: **8390** दिनांक **03.10.2000**, तथा पंजीबद्ध विक्रय दस्तावेज की छायाप्रति भी प्रस्तुत की। अधिशाषी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग डीडवाना व पटवारी हल्का डीडवाना की ओर से प्रारम्भिक आपत्तिया का जवाब दिया गया तथा दस्तावेजो की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गयी।

भू-प्रबन्धक विभाग राजस्थान की खतौनी बन्दोबस्त ग्राम डीडवाना सवत् 2022 के अनुसार ख0नं0 3052 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा गै0मु0 सड़क की भूमि है। उक्त आराजी पथ एवं भवन निर्माण विभाग के खाते में थी। जमाबन्दी सवत् 2070 से 2073 में खाता संख्या 1136 के अनुसार खसरा संख्या 3052 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा गै0मु0 सड़क व पी0डब्लू0डी0 सड़क के रूप में दर्शाई गयी है। तहसीलदार डीडवाना द्वारा अधिशाषी अभियन्ता पी0डब्लू0 डी0 डीडवाना को अपने पत्र क्रमांक 309 दिनांक 12.02.16 द्वारा सूचित किया गया कि खसरा संख्या 3052 की चौड़ाई खसरा संख्या 3074 की उत्तरी सीमा के लगभग मध्य बिन्दू (वर्तमान अजमेरी गेट दाजराज गणेश मंदिर चौराहा) से ख0नं0 3009 की उत्तरी पश्चिमी सीमा (वर्तमान कालू मिस्त्री का गेराज तक) 13 गट्टा 6.667 फूट अर्थात 86 फीट 8 ईंच होती है।

अपीलान्ट द्वारा उक्त प्लोट की खरीद 7120 वर्ग फीट की दिनांक 20.4.83 को की गई। इसके पश्चात नगरपालिका की निर्माण आज्ञा का आज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खरीद सवत् 2040 में की गई। राज्य सरकार (LSG) की अधिसूचना क्रमांक: LSG/68 दिनांक 1.12.68 के अनुसार किसी भी नगरीय सीमा में स्थित राज्य सड़क मध्य बिन्दु से 15 मीटर की भूमि की दोनो तरफ की देखरेख पी0डब्लू0डी0 द्वारा की जायेगी तथा इस प्रकार की 15 मीटर की आरक्षित भूमि को न लीज पर दिया जायेगा, न ही विक्रय किया जायेगा, तथा न ही अन्य व्यक्ति को अन्तरण किया जायेगा। व न ही किराया पर दिया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा SB सिविल रिट पिटिशन 803/1998 मृतक सागरमल के वारिसान बनाम राजस्व मण्डल व अन्य निर्णय दिनांक 20.2.2015 में यह

भूमि का रखरखाव पी0डब्लू0डी0 द्वारा किया जायेगा। ऐसी भूमि को नगरपालिका द्वारा निस्पादन का अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि पर नगरपालिका का किसी प्रकार का टाईटल नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस के बिन्दू संख्या 8 में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 25.7.16 को तहसीलदार डीडवाना के आदेश के अनुसार खसरा संख्या 3051 व 3052 का सीमाज्ञान हेतु उक्त जायगम पर राजस्व टीम मौके पर गई तथा उक्त खसरान का सीमाज्ञान हेतु प्रयास भी किया लेकिन सघन आबादी भूमि होने से सीमाज्ञान नहीं हो सका। अतः अपीलान्ट को जानबुझ कर अपनी पट्टा सुदा भूमि से बेदखल किया गया है।


सेटलमेन्ट रिकार्ड संवत् 2022 अर्थात् वर्ष 1965 से खसरा नम्बर 3052 की भूमि गै0मु सड़क पी0डब्लू0डी0 के खाते में है तथा वर्तमान रिकार्ड 2070 से 2073 में भी खसरा संख्या 3052 ग्राम डीडवाना रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा गै0मु0 सड़क है। भू राजस्व 1956 की धारा 140 के अनुसार सेटलमेन्ट की जमाबन्दी अधिकार अभिलेख की परिभाषा में आती है तथा उसमें की गयी प्रविष्टियां जब तक सत्य मानी जायेगी जब तक अन्यथा विपरित साबित नहीं हो जावे। अपीलान्ट द्वारा दुकानों का आराजी 1983 में क्रय की गयी है उक्त खरिद सुदा आराजी के उतर में सड़क तथा निकाल पेसार है, तथा पश्चिम में स्व.गीगाराम के वारिशान की भूमि है। अतिक्रमण हटाने के लिये या सड़क की भूमि पर नाजायज कब्जे का ज्ञात करने के लिये सड़क के मध्य बिन्दू को ही आधार माना जाता है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इनके द्वारा वक्त खरिद की गई आराजी के आगे जो सड़क है उसका स्थान परिवर्तन हो गया है।

इसी सड़क को आधार मानकर अपीलान्ट द्वारा नगरपालिका डीडवाना द्वारा निर्माण आज्ञा प्राप्त की गयी थी, तथा उसके आधार पर दुकानों का निर्माण करवाया गया था। अतः साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत **Law of stopped** अपीलान्ट पर लागू होता है, तथा इसके तहत वह 25.7.16 के सीमाज्ञान दस्तावेज का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। गै0मु0 सड़क 1965 की है तथा अपीलान्ट द्वारा 1983 में भूमि खरिद दुकानों का निर्माण किया गया है तथा 1965 से ही सड़क की लम्बाई 86 फूट 8 ईंच है। अतः अपीलान्ट द्वारा सड़क की भूमि पर अवैध निर्माण बनाना सिद्ध होता है।


अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना प.9(6)राज/6/13 दिनांक 2.7.04 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रदत्त शक्तियों के तहत दिनांक 25.01.2016 का बेदखली का आदेश पारित किया गया है।

∴ आ दे श ∴

उपर्युक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुवे अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.1.16 को यथावत रखा जाता है।


27.4.18
(बलवन्त सिंह लिग्नी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक : 27.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


27.4.18
(बलवन्त सिंह लिग्नी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)